

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन  
पीठासीन अधिकारी-श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 61/2024  
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/119

प्रार्थी  
"केपरी ग्लोबल केपिटल  
लिमिटेड" क्षेत्रीय कार्यालय  
सेकण्ड फ्लोर प्लॉट नं013 प्रताप  
नगर खातीपुरा रोड वैशाली नगर  
जयपुर-302021

अप्रार्थीगण  
वनाम 1. श्री सिकन्दर गौरी पुत्र ईसलुदीन मैसर्स  
गौरी वेंगल्स सदर बाजार कुचामन सिटी  
2. श्री ईसलामुद्दिन गौरी पुत्र हाजी अब्दुल  
सदर बाजार कुचामन सिटी  
3. श्रीमती आबीदा वानों पत्नि अमजद खान  
सदर बाजार कुचामन सिटी  
4. श्री मोहम्मद साजीद पुत्र ईसलामुद्दिन सदर  
बाजार कुचामन सिटी  
5. श्री शाहरुख गौरी पुत्र श्री ईसलामुद्दिन सदर  
बाजार कुचामन सिटी  
6. श्री सलामुद्दिन गौरी पुत्र हाजी अब्दुल सदर  
बाजार कुचामन सिटी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित  
प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित :-

1. श्री योगेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक: 10.03.2025

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं  
पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/  
ऋणी को रूपये 25,00,000/- (अक्षरे पच्चीस लाख रूपये मात्र) दिनांक 05.09.2021 को ऋण  
उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पति-  
ईसलामुद्दिन गौरी एवं सलामुद्दिन गौरी मालिक सम्पति आबादी वार्ड नं0 16 प्लॉट/पट्टा नं0  
358/2015 सीकर रोड सदर बाजार कुचामनसिटी में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा  
आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हैं। जिसका माप 720.37 वर्ग फिट या 80.04 वर्गगज है  
तथा आस पड़ोस निम्न है- उत्तर में :- रीयावले सेठों और श्री सोहन का मकान और आगे  
हरप्रसाद बावर की दुकान, दक्षिण में :- श्री गिरधारी सोनी और श्री रामगोपाल शर्मा का मकान,  
पूर्व में:- श्री गिरधारी सोनी का मकान, पश्चिम में:- घर का रास्ता और आगे अन्य की दुकान,  
जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित  
किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया।  
जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 29.05.2024 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व  
अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रूपये 2588523/- (अक्षरे पच्चीस लाख आठ हजार पांच सौ

जिला कलक्टर  
डीडवाना-कुचामन



तेईस रूपये मात्र) दिनांक 05.06.2024 तक शेष देय व दिनांक 05.06.2024 से आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 10.06.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रूपये 2588523/- (अक्षरे पच्चीस लाख अठ्यासी हजार पांच सौ तेईस रूपये मात्र) दिनांक 05.06.2024 तक शेष देय व दिनांक 05.06.2024 से आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया हैं।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक ने उक्त पत्रावली में लोन स्टेटमेन्ट के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। केपरी ग्लोबल केपिटल लिमिटेड बैंक द्वारा ऋणी अप्रार्थीगण के विरुद्ध 2588523/- रूपये की राशि बकाया बताये गये। पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी द्वारा कितनी राशि का ऋण लिया गया। अप्रार्थी ने ब्याज सहित कितनी राशि जमा करवा दी। उक्त तथ्य से भी न्यायालय हाजा को अवगत नहीं करवाया।

प्रार्थी बैंक की ओर से श्री दीपक सहानी द्वारा जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। श्री दीपक सहानी के शपथ पत्र में विवरण अपूर्ण है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उपरोक्त कमियों की पूर्ति करते हुए नया प्रार्थना पत्र पेश कर सकते है।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(  
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
डीडवाना-कुचामन